



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रामलखन पुत्र रतनलाल उर्फ भगवान जी निवासी ग्राम कुसमिलिया थाना डकोर जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना डकोर में मु०अ०सं० 186/21 (वाद संख्या – 46/22) धारा 363/366/376(3)/506 भादवि व 3/4 (2)पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.09.2023 को मा० न्यायालय ए.डी.जे. पॉक्सो द्वितीय कोर्ट उर्ई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रामलखन उपरोक्त को दोषी पाते हुये 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 65,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक 22.09.21 को अभियोग पंजीकृत हुआ था माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 02 वर्ष में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल श्री बृजराज सिंह राजपूत



कोर्ट पैरोकार राजकुमार

@jalaunpolice

jalaunpolice

Jalaun Police